न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 103ए/2025 G.C.M.S. No. 2025/577 दर्ज दिनांक : 25.08.2025

अपीलार्थिगण:

1. चंपालाल पुत्र नारायणलाल, उम्र 70 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी धन्धेड़ी, तहसील सोजत व जिला पाली।
2. मोहनलाल पुत्र नारायणलाल, उम्र 65 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी धन्धेड़ी, तहसील सोजत व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कौशल्यादेवी पत्नि मदनलाल, जाति माली, उम्र 50 वर्ष, निवासी बेरा बंदीया धन्धेड़ी, तहसील सोजत व जिला पाली।
2. तहसीलदार भूमिधारक सोजत, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/2023 बअनवान कौशल्यादेवी बनाम चंपालाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 11.08.2025

पैरोकार–

1. श्री लक्ष्मण मेघवाल, श्री राहुलकुमार सिंह, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नवीन दवे, श्री रमेश टाक, श्री अभय व्यास, श्री निर्मल माली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 27.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/2023 बअनवान कौशल्यादेवी बनाम चंपालाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 11.08.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्टगण/अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 03/12/2024 को भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वृत अटबड़ा एंव हल्का पटवारी मण्डला द्वारा मौका निरीक्षण करते समय किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थीं, जिस पर अपीलाण्टगण/अप्रार्थीगण की ओर से लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिस प्रार्थना पत्र को मूल पत्रावली से गायब कर दिया गया, तथा उस पर बहस होने के पश्चात किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया जबकि अपीलाण्टगण/अप्रार्थीगण की ओर से यह स्पष्ट बताया गया कि खसरा नम्बर 107/1007 में आने–जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ता खसरा नम्बर 58 से चिपते हुए खसरा नम्बर 107/1008 के सहारे–सहारे प्रार्थीनी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के खेत में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आना–जाना होता रहता है। मौके पर प्रार्थीनी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा दो पीलर खड़े कर फाटक लगा रखी हैं फिर भी मौका रिपोर्ट बनाते समय जानबूझकर खसरा नम्बर 107/1008 की वास्तविक स्थिति के बारे में जानबूझकर रिपोर्ट पेश नहीं की गई जो रास्ता मौके पर आज भी विद्यमान है। अपीलाण्टगण/अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 59 के पूर्वी दिशा की तरफ अपीलाण्टगण/अप्रार्थीगण द्वारा करीबन 10 टंकी पानी का टांका मातहत अदालत के निर्णय में प्रार्थीनी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 48 को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज होना बताया है जबकि खसरा नम्बर 59 के आस–पास कहीं पर भी खसरा नम्बर 48 की भूमि रास्ते के रूप में दर्ज नहीं हैं। अपीलाण्टगण/अप्रार्थीगण के पास केवलमात्र 0.2800 हैक्टेर की कृषि भूमि ही हैं उसमें भी 10*15 फुट में टांके का निर्माण किया हुआ है। अगर 5 एयर जमीन रास्ते में चली जायेगी पीछे अपीलाण्टगण के पास कृषि भूमि रहेगी ही नहीं, जबकि दूसरी तरफ देखें तो खसरा नम्बर 107/1007 एवं खसरा नम्बर 107/1008 की भूमि पर्याप्त मात्रा में हैं। प्रार्थीनी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 खसरा नम्बर 107/1008 के खातेदार को रास्ते के बराबर भूमि दे सकती थीं तथा नक्शा शीट को देखने से भी प्रथमदृष्टया यह साबित है कि खसरा नम्बर 107/1007 में आने–जाने हेतु मौके पर आज भी रास्ता दिखाई दे रहा है तथा उसी स्थान पर प्रार्थीनी/रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की फाटक लगी हुई हैं इसलिए भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी ग्राम धन्धेड़ी के खसरा संख्या 107/1007 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.08.2025 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट अप्रार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि संबंधित भू.अ.नि. द्वारा दिनांक 03.12.2024 को मौका निरीक्षण किए जाने के लिए संबंधित पक्षकारान को मौके पर उपस्थिति हेतु सूचित नहीं किया गया। अतः मौका रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है। मौका

राजस्व अपील प्राधिकारी

रिपोर्ट एवं भू–नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू.अ.नि. द्वारा प्रार्थिया की आराजी खसरा संख्या 107/1007 तक पहुंच के लिए गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 58 से अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 59 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। खसरा संख्या 59 के दक्षिण–पूर्वी कोने में पानी का टांका निर्मित होना अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। भू.अ.नि. द्वारा उक्त पानी टांका को छोड़कर इससे लगते हुए खसरा संख्या 59 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प दर्शित नहीं किया गया है। जबकि भू–अभिलेख के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 107/1008 के उत्तर–पश्चिमी सीमा के सहारे से भी रास्ता प्रस्तावित किया जा सकता था तथा खसरा संख्या 59 के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित पानी टांका को छोड़कर टांका व खेत की सीमा के मध्य स्थित भाग एवं इससे लगता खसरा संख्या 107/1008 में से भी रास्ता प्रस्तावित किया जा सकता था। जो निकटतम दूरी का होने के साथ–साथ खसरा संख्या 59 की आराजी को विभाजित भी नहीं करता। भू.अ.नि. द्वारा ऐसा नहीं कर त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस पर गौर नहीं कर त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जो समर्थन योग्य नहीं हैं।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/2023 बअनवान कौशल्यादेवी बनाम चंपालाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 11.08.2025 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से सभी प्रभावित खातेदारान को सूचित करवाते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

करवाते हुए पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत में दिनांक 30.04.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **2703.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली